अध्याय-3 आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग का यह कृत्य होगा कि वह -

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें।

(ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दे।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दें।

(ड़) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौपे जायें।

(2) आयोग की सलाह साधारणत: राज्य सरकार पर आबद्ध कर होगी तथापि जहाँ सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहाँ वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

आयोग की शक्तियाँ

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी अर्थात्-

(क) राज्य के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

Chapter III-Functions and Powers of the Commission

Functions of the Commission

9. (1) It shall be function of the Commission-

(a) to act as watch-dog Commission for the protection afforded to the members of the Scheduled Tribes under the Constitution and under any other law for the time being in force,

(b) to recommend to the state Government to take steps to add particular tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950

(c) to watch the proper and timely inplementation of programmes meant for welfare of Scheduled Tribes and to suggest improvement in such programmes of the State Government or any other body or authority responsible for such programmes.

(d) to tender advice regarding reservation for Schelduled Tribes in public services and admission in educational institutions.

(e) to perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.

(2) The advice of the Commission shall, ordinarily be binding upon the State Government, where, howener, the Government does not accept the advice, it shall record its reason there for.

Power of the Commission

10. The Commission shall, while performing its functions under sub-section (I) of Section 9, have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular, in respect of the following matters namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of the state and examining him on oath.

(b) requiring the discovery and production of any document.

(c) Receiveing evidence on affidavits,

(d) requisitioning any public record or copy there of from any court of office.

(e) issuing commission for the examination of witness and documents and.

(f) any other matter which may be prescribed.